



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, सेक्टर-९, लखनऊ



पत्र संख्या: 1047/Y-42/485

दिनांक: 20.06.2014

आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित वृन्दावन योजना लखनऊ में भू-स्वामियों द्वारा वर्ष-2002 से पूर्व किये गये अवैध निर्माणों के समायोजन/हितबद्ध काश्तकारों के अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष भूखण्डों के आवंटन की अन्तिम तिथि **31-12-2014** है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं/हितबद्ध भूस्वामियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अवैध निर्माण के समायोजन एवं भूखण्डों के आवंटन हेतु समस्त प्रपत्रों के साथ प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे अवैध निर्माणों के समायोजन/भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही दिनांक **31-12-2014** तक की जा सके। आवेदन प्रारूप संबंधित खण्ड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

योजनावार संबंधित खण्ड निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	सम्बन्धित खण्ड
1.	वृन्दावन योजना संख्या-1, लखनऊ	निर्माण खण्ड-15
2.	वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-1, लखनऊ	निर्माण खण्ड-11
3.	वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-2, लखनऊ	निर्माण खण्ड-19
4.	वृन्दावन योजना संख्या-3, लखनऊ	निर्माण खण्ड-12
5.	वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ	निर्माण खण्ड-11

आवेदन के साथ भू-स्वामित्व हेतु खतौनी/रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति तथा निर्माण वर्ष-2002 से पूर्व होने का प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियन्ता

आवेदन—पत्र

वृन्दावन योजना संख्या—....., लखनऊ में ग्रामपरगना—बिजनौर,
तहसील व जिला—लखनऊ के खसरा संख्या—..... की भूमि पर वर्ष—2002 के पूर्व के निर्माण के
समायोजन के सम्बन्ध में आवेदन

1. आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पता
आई0डी0प्रूफ (प्रति संलग्न किया जाय).....
2. आवेदक मूल काश्तकार है या क्रेता
3. यदि आवेदक क्रेता है तो भू—स्वामित्व हेतु रजिस्ट्री की प्रति संलग्न करें
(अ) रजिस्ट्री की तिथि—
(ब) रजिस्ट्री के अनुसार क्षेत्र—
(स) मूल काश्तकार का नाम जिससे भूमि क्रय की गई हो—
4. किये गये निर्माण का क्षेत्रफलवर्गमी0 |
5. निर्माण का विवरण—
(अ) पक्का निर्माण का क्षेत्रफलवर्गमी0 में।
(ब) अस्थायी निर्माण यथा टीन शेड आदि का क्षेत्रफलवर्गमी0 में।
(स) बाउंडीवाल से आच्छादित क्षेत्रफलवर्गमी0 में।
6. वर्ष 2002 से पूर्व का निर्माण होने का प्रमाण।
(अ) परिषद की धारा—82 के अन्तर्गत निर्गत नोटिस की प्रति
(ब) अन्य कोई साक्ष्य
7. उक्त भूमि/निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद है या नही—
(अ) यदि है तो उसका विवरण एवं क्षेत्रफल
8. अन्य विवरण यदि कोई हो—

स्व0 हस्ताक्षरित

फोटो

दिनांक:—

हस्ताक्षर

नाम—

दूरभाष संख्या—

संलग्नक:—

1. भूमि के स्वामित्व हेतु रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति संलग्न किया जाय।
2. निर्माण वर्ष 2002 से पूर्व होने का साक्ष्य संलग्न किया जाय।
3. आई0डी0प्रूफ की प्रति।

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक बयान देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा क्रम स0 1 से 8 तक दी गयी सूचना सत्य हैं एवं मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि दी गयी सूचनाएं गलत पायी जाती हैं तो ऐसी दशा में परिषद के द्वारा किया जा रहा समायोजन निरस्त कर दिया जाये। देय भूमि से अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में परिषद नियमानुसार कार्यवाही स्वीकार्य होगी। परिषद के समस्त नियम व कानून मुझे मान्य हैं।

दिनांक:—

हस्ताक्षर

नाम—